मुन्तकिली प्रकरण संख्या 10/2019 (2019/00010) पूर्णराम पुत्र श्री किशनारामा जाति जाट निवासी धाधुसर वर्तमान विासी वार्ड नं 11 शमशान घाट के पीछे, सूरतगढ जिला श्रीगँगानगर बनाम 1. हरीराम पुत्र चेतनराम जाति मेघवाल निवासी 8 एसजीएम ढाणी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 2. गणेशराम पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी सहूवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 3. गुलाब देवी पत्नी मघराम जाति मेघवाल निवासी सहूवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 4. इन्द्रादेवी पत्नी जगदीश जाति बिश्नोई निवासी 8 एसजीएम ढाणी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 5. उमा देवी पत्नी भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी 8 एसजीएम तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 6. नाजम अली पुत्र सुलतान जाति मुसलमान निवासी 8 एसजीएम ढाणी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगगानगर 7. मनसब अली पुत्र सुलतान जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 8. नूर हसर 9. फरीद खां पिसरान सुलेमान 10. अलीशेर पुत्र रमजान जाति मुसलमान निवासी सरदारगढ तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 11. हरफूलराम पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी सहूवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 12. स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ

03.04.2019

वकील प्रार्थी एवं अप्रार्थी के वकील उपस्थित है। उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अप्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित प्रकरण संख्या 122/2018 अनवानी हरीराम बनाम पूर्णराम अन्तर्गत धारा 251(क) आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रार्थी पूर्णराम ने प्रस्तुत किया था। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को खारिज करने योग्य है।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी का स्थानान्तरित हो चुका है इसलिए इस आधार पर यदि यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी पूर्णराम ने यह मुन्तकिली मुकदमा प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित प्रकरण संख्या 122/2018 अनवानी हरीराम बनाम पूर्णराम धारा 251(क) आरटीए में न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर